राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, भू जल विभाग, जोधपुर

कमांक:- एफ. 12( ) स्था/ भूजल/2019/ 256 जोधपुर, दिनांक:- 21.05.2019

-:: परिपत्र ::-

विषय:-खण्ड एवं उपखण्ड कार्यालयों के भण्डार एवं रोकड़ शाखा का चार्ज 3 वर्ष मे बदलने बाबत।

प्रसंग:-परिपत्र कमांक एफ.12( )स्था/भूजल/2019/226 दिनांक 3.5.2019 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में विभाग के ध्यान मे आया है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा पूर्व मे जारी दिशा निर्देशों की पालना न करते हुये खण्ड एवं उपखण्ड कार्यालयों के भण्डार एवं रोकड़ शाखा का चार्ज कागजों मे ही हस्तानान्तरित कर लिया गया एवं 15-20 दिनो के पश्चात उसी कार्मिक को भण्डार एवं रोकड़ शाखा का चार्ज देना दर्शा दिया गया जो कि उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवज्ञा एवं गम्भीर दुराचरण एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

अतः समस्त नियन्त्रण अधिकारी एवं कार्यालयध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में जारी प्रासंगिक परिपत्र पर क्या कार्यवाही की गई जिसकी सूचना अविलम्ब ई-मेल आई.डी. chiefgwd3@gmail.com पर भिजवाते हुये निम्न प्रारूप मे गत 10 वर्षो मे किस-किस कार्मिकों को भण्डार एवं रोकड़ का चार्ज दिया गया एवं कितनी बार पुनरावृत्ति की गई की सूचना तत्काल प्रेषित करें:-

क. सं.	कर्मचारी का नाम / पद	दिया गया चार्ज का नाम भण्डार / रोकड़	अवधि कब से कब तक मय दिनांक	पुनः उसी कर्मचारी को भण्डार/ रोकड़ का चार्ज दिया गया।	अवधि कब से कब तक मय दिनांक	उस अधिकारी का नाम जिसने कालम संख्या 5 की कार्यवाही की गई।
1	2	3	4	5	6	7

अतः लेख है कि उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या-5 के अनुसार की गई कार्यवाही की ठोस एवं तथ्यात्मक कारण एवं उद्देश्य का स्पष्ट अंकन करते हुये प्रेषित करें।

(सूरजभान सिंह)
मुख्य अभियन्ता,
भू. जल विभाग,जोधपुर

Upload on Web Site. 22/5/19

क्रमांकः- एफ. 12( ) स्था/ भूजल/2019/ 256 जोधपुर, दिनांकः- 21.05.2019

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. श्रीमान् निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, भू जल विभाग, जयपुर।
2. श्रीमान् वरिष्ठ शासन उप सचिव भू जल विभाग,शासन सचिवालय जयपुर।
3. तकनिकी सहायक प्रथम/द्वितीय कृते मुख्य अभियन्ता, भू जल विभाग,जोधपुर।
4. समस्त कार्यालयाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी, भू जल विभाग, -------------- को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों से उपरोक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावें।
5. नोडल अधिकारी (वैबसाईट) एवं वरिष्ठ भू जल वैज्ञानिक (DSPC), भू जल विभाग, जोधपुर को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. निजी सचिव कृते मुख्य अभियन्ता, भू जल विभाग, जोधपुर
7. नोटिस बोर्ड, मुख्यालय।
8. रक्षित पत्रावली।

मुख्य अभियन्ता,
भू जल विभाग,जोधपुर